भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3901
27 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना

3901 # श्री मिथलेश कुमारः
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्रीमती किरण चौधरी:
श्री तेजवीर सिंहः
श्री नरहरी अमीनः
श्री जग्गेशः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत स्वीकृत कंपनियों की संख्या और संवितरित की गई प्रोत्साहन राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के क्षेत्र-वार वितरण का ब्यौरा क्या है;
(ग) भागीदार कंपनियों द्वारा की गई निवेश प्रतिबद्धताओं और सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्यवर्धन और निर्यात में योजना के योगदान के संबंध में कोई समीक्षा की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत , दिनांक 31.12.2025 तक 168 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरित प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	प्रोत्साहन राशि वितरित (करोड़ रुपये में)
2022-23	486.79
2023-24	586.65
2024-25	448.37

(ख): दिनांक 31.12.2025 तक पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थियों/आवेदनों की क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वर्ग**	**क्षेत्र**	**स्वीकृति की संख्या**	**कुल**
1	श्रेणी – I	आरटीई/आरटीसी	12	51
		एफ एंड वी	26	
		समुद्री	09	
		मोत्ज़रेला पनीर	04	
2	श्रेणी –II	नवोन्मेषी	2	15
		जैविक	13	
3	श्रेणी –III	बी एंड एम	73	73
4	मिलेट-आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी)	बड़ी संस्थाएँ	8	29
		एमएसएमई	21	
कुल			**168**	**168**

(ग): योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदकों द्वारा किया गया प्रतिबद्ध निवेश 7,722 करोड़ रुपये है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदकों द्वारा लगभग 3.29 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नियमित रूप से योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। इस योजना ने खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार, उन्नत प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और आयात प्रतिस्थापन में योगदान दिया है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत प्रोत्साहन तभी स्वीकार्य होते हैं जब योजना के अंतर्गत शामिल खाद्य उत्पादों की प्राथमिक प्रसंस्करण सहित संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया भारत में होती है, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलता है। यह योजना भारतीय खाद्य उत्पादों की वैश्विक दृश्यता बढ़ाने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन हेतु भी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत स्वीकृत कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के कुल निर्यात में वर्ष 2019-20 के संदर्भ में वर्ष 2024-25 तक 13.23% की सीएजीआर वृद्धि हुई है।
